प्रकरण संख्या 24/2023 अनवान सरकार बनाम रवि कुमार मिदा

पत्रावली पेश हुई। मूलवाद धारा 177 आरटीए निर्णित किया जा चुका है। मूलवाद के निर्णित होने से इस प्रकरण का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः मूल वाद निर्णित होने की दशा में पत्रावली निस्तारित होकर संलग्न मूल वाद रहे तथा दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner